सफाई कर्मचारियों की दशा पर रिपोर्ट तथा उनकी दशा में सुधार के लिए सिफारिशें / प्रस्ताव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग – मार्च 2012
द्वारा तैयार की गई

बी विंग, पांचवां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष / फैक्स : 24625378 टोल फ्री : 1800118888 वेबसाइट : http://ncsc.nic.in

सफाई कर्मचारियों की दशा पर रिपोर्ट तथा उनकी दशा में सुधार के लिए सिफारिशें/प्रस्ताव

1. परिचय

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सफाई कर्मचारियों की दशा - हाथ से सफाई का उन्मूलन की जांच-पड़ताल करने तथा उनके सुधार के लिए सिफारिशें/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती लता प्रिया कुमार, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था । समिति को सह-अध्यक्ष श्री सज्जन सिंह वर्मा, संसद सदस्य और प्रवीण वाघेला, डा. पी. वल्लाल पेरुमल, पूर्व-संसद सदस्य, डा. एस. सेन गुप्ता, श्री जय भगवान जाटव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शोषित परिषद, डा. मनोज तिमानिया सदस्य तथा श्री एस.के. अय्यर सदस्य-सचिव द्वारा सहयोग प्रदान किया गया ।

दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 अनुसूचित जाति है जिनमें से लगभग एक करोड़ अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी और हाथ से सफाई जैसे घृणित व्यवसाय से जुड़े हैं । संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत प्रावधान, अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा स्वच्छकारों को रोज़गार एवं सूखा शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के अलावा छुआछूत अभी भी एक वास्तविकता है । जब तक समाज के इस वर्ग को न्याय तथा समान अवसर नहीं मिलता हम दुनिया में महान शक्ति बनने की बात सोच भी नहीं सकते । स्वच्छकार पूर्ण रूप से अशिक्षित एवं अस्वास्थ्यकर जीवन जीने को मजबूर हैं जो अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे हैं । यद्यपि सफाई कर्मचारियों और स्वच्छकारों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक सांविधानिक निकाय है । तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उच्च प्राथमिकताओं के द्वारा समाज के इस वर्ग को प्रभावित करने वाले अहम मसले की पड़ताल करने के लिए

अधिदेशाधीन है ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम, 1993 के पैरा 2 (ई) के अनुसार सफाई कर्मचारी के मायने कोई व्यक्ति जो हाथ से मानव मल उठाने या स्वच्छता के कार्य में नियोजित है । प्रारंभ में समिति ने चिन्ता व्यक्त की कि हाथ से सफाई करने की अमानवीय प्रथा अभी भी कायम है । यद्यपि विभिन्न राज्य सरकारें तथा संगठन सूचित करते रहे हैं कि हाथ से सफाई करने का कार्य अब मौजूद नहीं है । सरकार ने जनवरी, 2007 में स्वच्छकारों के पुनर्वास की स्व-रोज़गार योजना शुरु की उस समय 3,42,468 स्वच्छकार थे जिनका पुनर्वास किया जाना अपेक्षित था ।

स्वच्छकारों के संबंध में उपलब्ध डेटा के अनुसार एसआरएमएस योजना के अन्तर्गत 1,17,327 के पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप करते हुए हाथ से सफाई करना बन्द करने के निदेश जारी किए हैं । समिति महसूस करती है कि हाथ से सफाई करना पूर्ण रूप से बन्द करने के तत्काल कदम उठाने चाहिएं । सरकार ने हाथ से सफाई के उन्मूलन के लिए एक नीति का प्रतिपादन किया है परन्तु सफलता की दर ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है ।

।। टिप्पणी

समिति यह महसूस करती है कि सफाई कर्मचारी जो स्वच्छ वातावरण बनाए रख कर देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं उन्हीं की इस सभ्य समाज की नजरों में उपेक्षा की जाती है । वे आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानव विकास इंडेक्स के अन्य मानदंडों में रैंक में सबसे नीचे हैं ।

ऐसे समय में जब प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है अनेक समुदाय ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं और आर्थिक पिछड़ेपन तथा सामाजिक भेदभाव की सोचनीय और

अमानवीय स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं । उन्हें स्वच्छकार/स्वच्छता कामगार कहा जाता है ।

स्वच्छकार जातिवाद और छुआछूत के प्रतीक हैं क्योंकि अमानवीय और घृणित कार्य उन्हें हाथ में लेने अपेक्षित होते हैं । देश में उनका समाज हाशिये पर है, उपेक्षित है और शोषित है । उनके कार्य से उन्हें ज्यादा आय नहीं होती है जिससे कि वे अपने परिवार को खाना खिला सकें और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें । ये लोग अत्यन्त गरीबी में जीते हैं, उनके अपने घर नहीं हैं उनके पास बेहतर रोज़गार या शिक्षा के लिए विकल्प नहीं हैं सरकार को इस समुदाय की दशा और उन्हें उनकी वर्तमान सामाजिक स्थितियां तथा वित्तीय समस्याओं से सम्पूर्ण मुक्ति दिलाने की ओर ध्यान देना चाहिए । इन लोगों को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वे न्यूनतम स्तर का जीवन बिता सकें । प्राय: यह पाया जाता है कि उनके बच्चों के कुपोषण के शिकार होने की ज्यादा संभावना रहती है क्योंकि उनके पास न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं, जैसे कि स्वच्छ जल, उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल तथा पर्याप्त स्वच्छता का अभाव रहता है । उनकी सम्पूर्ण स्थितियों तथा शिक्षा में सुधार के लिए पहल सरकार की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

वस्तुत: मानवीय प्रतिष्ठा के दावों का निरादर/अस्वीकार करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है । स्वच्छकारों को शैक्षिक, आर्थिक, रोज़गार तथा निर्वाचकीय लाभ देने की कोई बात नहीं की जाती है । अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989/नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और ईएमएससीडीएल(पी)अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत चूककर्ताओं के लिए कोई जवाबदेही/जिम्मेदारी नियत नहीं की गई है जबकि सीआईसी, एनएचआरसी ने ऐसे चूककर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है ।

मजदूरी या आय से ही स्वच्छकारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है

बल्कि जिस दु:ख के साथ वे जीवन बिता रहे हैं उन अप्रतिष्ठित स्थितियों को जड़ से उखाड़ना होगा । स्वच्छता कामगारों के बच्चे अधिक कुपोषण के शिकार होते हैं क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्वच्छ जल, पोष्टिक भोजन, उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल तथा पर्याप्त स्वच्छता प्रणाली का अभाव रहता है ।

ऐसी प्रमाणित रिपोर्टें हैं कि हाथ से सफाई करने की प्रथा का प्रचलन रेलवे में सबसे ज्यादा है । परन्तु रेलवे और राज्य/जिला प्रशासन के बीच कोई समन्वय नहीं है । यद्यपि रेलवे स्टेशन नगर पालिका के दायरे में आते हैं फिर भी, रेलवे में कार्य को नगर पालिकाओं द्वारा डेटा तैयार करते समय शामिल नहीं किया जाता है । रेलवे को हाथ से सफाई करने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए और जैसा कि हम विकसित देशों में देखते हैं, सावधानी से सुविचार कर एक यांत्रिक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपाय का पता लगाना चाहिए । यह भी देखा गया है कि रेलवे और नगर निगमों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पाती है । सफाई कर्मचारियों के रेलवे मकानों की स्थिति अत्यन्त घृणित होती है । इन मकानों में रहने वाले सफाई कर्मचारियों का जीवन उनकी अवस्थिति और खराब रखरखाव के कारण दयनीय है ।

<u>एसआरएमएस का कार्यान्वयन :</u> हाथ से सफाई का मुद्दा सरकार की प्रमुख चिंता है । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हाथ से सफाई की प्रथा के निवारण में शीर्ष एजेंसियों से समन्वय कायम करता रहा है । शीर्ष निगमों/राज्य द्वारा निर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से स्वच्छकारों के पुनर्वास की स्वयं रोज़गार योजना के तहत उन्हें प्रशिक्षण-सह-ऋण दिया जाता है । इन योजनाओं को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए । इन योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के क्रम में उन्हें रेडिया, दूरदर्शन तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरुक बनाया जाना चाहिए । एससीए को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक लाभार्थी उसके चुने गए वैकल्पिक व्यवसाय में नियोजित हैं और उन्हें लगातार लाभ हो रहा है । राज्य सरकार को इस योजना के

कार्यान्वयन का गहन मॉनीटर करना चाहिए । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने 8 राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटक में एसआरएमएस का राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकारियों द्वारा व्यापक जांच का कार्य हाथ में लिया है । बाह्य लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष से यह प्रदर्शित होता है कि अधिकांश मामलों में 25,000/- रुपए की अल्प राशि दी जाती है और इसी तरह दिल्ली में भी कोई स्पष्ट सम्पत्ति सृजन प्रतिवेदित नहीं की गई है । यह भी देखा गया है कि अधिकांश लाभार्थियों को उन्हें बिना कोई प्रशिक्षण दिए तथा परियोजना की धारणीयता का बिना मूल्यांकन किए ऋण राशि दी गई थी ।

III. सिफारिशें

सफाई कर्मचारियों द्वारा मजदूरी, शिक्षा, स्वच्छता, आवास और स्वरोज़गार के क्षेत्रों में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन पर विस्तार से विचार-विमर्श कर और निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:-

(1) **सर्वेक्षण** – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रेलवे और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से एम.एस. पर व्यापक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। राज्य की सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2006 में भारत में 7,70,338 स्वच्छकार और उनके आश्रित थे । वर्ष 1992 से 2006 तक 4,27,870 को राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के तहत पहले ही सहायता दी गई थी तथा 3,42,468 का स्व-पुनर्वास रोज़गार योजना के अन्तर्गत पुनर्वास किया जाना था ।

इस कार्य की ठेकेदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिए और आउटसोर्स पर कर्मचारियों को लिए जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के इस वर्ग को अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ

मिलना चाहिए । प्रतिष्ठा के साथ नौकरी, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा तक उनकी पहुंच में सुधार के लिए पहल सरकार की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ।

(2) **सूखे शोचालयों को ढहाने का अभियान** तथा ऐसा न करने वाले कर्मचारियों को 1993 एक्ट ऑफ ई.एम.एस.एंड डी.सी. के अनुसार दंड देना । मेनहोल को हाथ से साफ करना दंडनीय होना चाहिए यदि नगर पालिकाओं, रेलवे और गांवों में ऐसा पाया जाता है ।

रेल सेवाओं में हाथ से सफाई करना स्वच्छकारिता है । रेलवे, नगरपालिकाओं और अन्य निजी तथा सरकारी क्षेत्र के निगमों में हाथ से सफाई करने की समीक्षा करने की आवश्यकता है । रेलवे को हाथ से सफाई करने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए और जैसा कि हम विकसित देशों में देखते हैं, सावधानी से सुविचार कर एक यांत्रिक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपाय का पता लगाना चाहिए ।

जहां तक संभावित यांत्रिकी साधन और उपकरण को कार्य के लिए सुनिश्चित किया जाना है । एक अनिवार्य विधिक प्रावधान किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए सुरक्षात्मक कोट, ग्लोव, गमशूज तथा आक्सीजन मास्क इत्यादि प्रदान किए जाने चाहिए ।

(3) **पुनर्वास योजना**

- देशभर में सरकारी क्षेत्रों, नगरपालिका परिषद क्षेत्रों और रेलवे स्टेशनों पर सभी पार्किंग स्लाट्स त्वरित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत स्वच्छकारों को दिए जाने चाहिए जिसमें उन्हें तात्कालिक बिजनेस और दिन-प्रतिदिन की जीविका कमाने के लिए किसी स्वच्छकार द्वारा पर्यवेक्षण के सिवाय कुछ भी अपेक्षित नहीं

है ।

- मेन मार्किट में दुकानों के आबंटन जैसा उत्तम और सतत् रोज़गार ।

- सफाई कर्मचारियों को एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी इत्यादि सहित सभी राष्ट्रीयकृत, निजी बैंकों/एनबीएफजी से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिए गए सभी प्रकार के ऋण और अग्रिमो का बाजदावा सरकार द्वारा 1979 से उपार्जित एससीपी निधियों का समायोजन करके किया जाना चाहिए ।

- स्व-रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारियों के बच्चों को आईटीआई और पोलटेकनिक द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

- सफाई कर्मचारियों को ठेके/आउटसोर्स पर रखे जाने की वर्तमान व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए । स्वच्छता कार्य नित्य प्रकृति का है अत: इसे ठेके/आउटसोर्स पर रोज़गार के दायरे में नहीं लाना चाहिए । ठेके/आउटसोर्स पर रोज़गार से बंधुआ मजदूर व्यवस्था को विधि प्रतिरक्षण के साथ अप्रत्यक्ष रूप से वापस लागू की जा रही है । यांत्रिक सार्वजनिक सुविधाओं तथा बरसाती प्रबंधन ठेका तकनीकी होने के कारण उपयुक्त एम.एस. सफाई कार्य को ही दिया जाना चाहिए । सफाई कर्मचारियों को कुशल तकनीशियन घोषित कर उन्हें उसके अनुसार भुगतान किया जाना है ।

(4) **शिक्षा**

- सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल जिला और ब्लॉक स्तर पर व्यापक रूप से खोले जाने चाहिए । दलित मामलों की मंत्रियों

की समिति ने भी इसकी 2008 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी ।

- आवासीय स्कूल ग्रामीण और शहरी स्लम क्षेत्रों में भी खोले जाने चाहिए । उत्कृष्टा केन्द्र प्रत्येक जिले में संस्थापित किए जाने चाहिएं ।

- प्रत्येक जिले में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास खोले जाने चाहिए जिसमें सभी शैक्षिक केन्द्रों को शामिल किया जाए ।

- सफाई कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, छात्रावास शुल्क का वितरण समय पर किया जाए । प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक छात्रवृत्ति बिना किसी आय सीमा के शैक्षिक वर्ष के आरंभ होने पर और उसके बाद नियमित माहवार किस्तों में संवितरित की जाए ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके कई निर्णयों में इस बात को दोहराया है कि सफाई कर्मचारियों का जहां तक संबंध है, क्रीमीलेयर की कोई अवधारणा नहीं है । अतः सभी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उनके माता-पिता की वित्तीय स्थिति की ओर ध्यान दिए बिना प्रदान की जानी चाहिए ।

- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को पायलट, सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. के रूप में प्रशिक्षण अंग्रेज़ी और हिन्दी में तथा उनकी मातृभाषा में आशुलिपि और टाइपिंग के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

- सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्राईवेट, पब्लिक और सेंटरल स्कूलों में प्रवेश में आरक्षण सहित सरकारों द्वारा ट्यूशन और अन्य शुल्क का भुगतान करते हुए सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

- सफाई कर्मचारियों द्वारा उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ट्यूशन फीस और अन्य देय राशि की प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन देना चाहिए ।

- अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत निधियों में से सभी शैक्षिक व्यय राज्य/केन्द्रीय तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा वहन किए जाने चाहिए ।

- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति युवाओं को उत्तम गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान नहीं की जा रही है । इंगलिश स्पीकिंग कोर्स सहित उत्तम कोचिंग सुविधाओं के अभाव में ये युवा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों, रेलवे, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते ।

- आईटीआई और पोलीटेकनिक्स के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जिसका वित्त पोषण अनुसूचित जाति उप योजना के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

- आईआईटी और आईटीआई छात्रों को सस्ती प्रोटो टाइप मशीन डिज़ाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । जिनका सीवर और अन्य सफाई कार्यों के लिए उपयोग छोटे नगरों तथा अन्य नगरपालिकाओं में किया जा सके ।

(5) **<u>हेल्थ केयर</u>**

- सभी सफाई कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा किया जाना चाहिए ।

- बुरी लत छुड़ाने के केन्द्र प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्थापित किए जाने

चाहिए।

- ग्रामीण गंदी बस्तियों तथा शहरी गन्दी बस्तियों में युवाओं के लिए हैल्थ क्लब स्थापित किए जाने चाहिए।

- पीएचसी और एनआरएचएस को 100% कवरेज सुनिश्चित करनी होगी जिसमें सफाई कर्मचारियों का प्रत्येक मौहल्ला शामिल हो।

- उन सफाई कर्मचारियों को भी ईएसआई स्कीम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए जो असंगठित क्षेत्रों में हैं। इस मुद्दे पर श्रम व रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रयास कर रहा है।

- मेनहोल या गटर या सीवर साफ करते समय होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए पीड़ित के परिवार को प्रतिपूर्ति/पुनर्वास के लिए मेनहोल या सीवर के मालिक की जिम्मेवारी होगी।

- सभी सफाई कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर आराम करने के लिए उपयुक्त विश्राम कक्ष की सुविधा तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं विशेषकर महिलाओं के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

- रोज़गार के दौरान और सीवर/सेप्टिक टैंक साफ करते समय सफाई कर्मचारियों की मृत्यु के असंख्य मामले नोटिस में आए हैं। यह प्रेक्षित किया गया है कि सुरक्षा के लिए और बीमारियों से बचने के लिए सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा कोट, ग्लो, गमबूट और मास्क इत्यादि उपलब्ध करवाया जाए। प्रस्तावित अधिनियम में अनिवार्य प्रावधान किया जाए।

चूककर्ताओं के खिलाफ हाथ से सफाई करने वाले और सूखे शोचालय (निषेध) अधिनियम, 1993 सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।

- स्वच्छता कामगार गन्दे कार्य और बदबू की वजह से शराब पीने, तम्बाकू चबाने इत्यादि के आदी हो जाते हैं । ऐसे लोग इकट्ठे रहते हैं और गरीबी तथा बुरी संगत में पड़ जाते हैं जो उनकी ये जीवन स्थितियां स्थायी हो जाती हैं । इन सभी को लत छुड़ाने वाले केन्द्रों में उपचार कराना चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए बचत और निवेश के लाभ के प्रति जागरुक बनाया जाना चाहिए । इसे सम्माननीय व्यवसाय बनाने की आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो । इन्हें प्रेरित करने के लिए एनजीओ को शामिल करते हुए वैकल्पिक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है।

(6) भूमि वितरण

उपलब्ध डेटा ोतों के अनुसार सफाई कर्मचारी कृषि मजदूरों में विशाल अनुपात बनाते हैं । तथापि, बहुत कम सफाई कर्मचारी भू-स्वामी हैं । भारत के तात्कालीन राष्ट्रपति डॉ. के.आर. नारायणन द्वारा गठित राज्यपालों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है कि इस देश में सफाई कर्मचारियों के प्रत्येक परिवार 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त भूमि है । भूमिहीन सफाई कर्मचारियों में भूमि के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सफाई कर्मचारियों के लिए एक भूमि बैंक खोलने की आवश्यकता तथा उनके द्वारा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सुनिश्चित करना है।

यद्यपि इंदिरा आवास योजना ने आशा की एक किरण दिखाई है, सफाई कर्मचारियों के लिए आवास अभी एक सपना ही है । आईएवाई के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और सफाई कर्मचारियों को आईएवाई का अधिमान्य आबंटन किया जाना चाहिए ।

एससीएसपी निधि की सहायता से स्लम क्लीयरेंस स्कीम के तहत मालिकाना हक के लाभ सभी सफाई कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्थिति, गुणवत्ता और आरोग्य निवास-स्थान आबंटित किए जाने चाहिएं ।

समाज के इस वर्ग को जब तक सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और समान अवसर नहीं मिलते तब तक भारत को एक विश्व शक्ति होने की बात सोच भी नहीं सकते हैं ।